XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25.01.2012	**न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ** **राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–41/2009** 1. मो0 सज्जाद आलम, पिता–शेख जलील 2. मो0 शमशाद आलम, पिता–शेख जलील साकिन–ताजपुर अमौर, थाना–अमौर, जिला–पूर्णियाँ ..... आवेदक **बनाम** 1. योगेन्द्र प्रसाद साह, पिता–सगम लाल साह 2. राजेन्द्र लाल साह, पिता–सगम लाल साह 3. शिवजी प्रसाद साह, पिता–सगम लाल साह साकिन–ताजपुर अमौर, थाना–अमौर, जिला–पूर्णियाँ..... विपक्षी **आ दे श** आवेदक अंचलाधिकारी, अमौर द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–64/1992–93 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक मौजा–अमौर, खाता संख्या–389, खेसरा संख्या–1301, रकवा–24 डिसमिल एवं खेसरा संख्या–1302, रकवा–12 डिसमिल का वास्तविक भूस्वामी है। उपरोक्त जमीन में आवेदक का घर एवं खाली जमीन में विभिन्न वृक्ष लगे हुए है। विपक्षी ने संख्या– 389, खेसरा संख्या–1301 एव। 1302, रकवा–12 डिसमिल का वासगीत पर्चा गलत तरीके से अपने नाम बनवा लिया है। जबकि विपक्षी का प्रश्नगत जमीन से कोई संबंध नहीं था और न वर्तमान में है। बल्कि विपक्षी का घर अन्य जमीन पर बना हुआ है। साथ ही विपक्षी को इन्दिरा आवास योजना द्वारा भी भवन विपक्षी के जमीन पर ही बना हुआ है। इस प्रकार विपक्षी ने गलत पर्चा प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त अंचल कार्यालय द्वारा भी बिना भूस्वामी को सूचना दिये पर्चा निर्गत किया गया। आवेदक बजाप्ता नकल के लिये जब अंचलाधिकारी को आवेदन दिया तो आवेदक को कहा गया कि अभिलेख का पता नहीं है। अतः आवेदक निवेदन करता है कि मूल अभिलेख मंगवाकर अपने स्तर से न्याय करने की कृपा की जाय। विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षी संख्या–2 एवं 3 20 वर्षो से अधिक समय से प्रश्नगत जमीन पर रह रहे है। विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत है और उनके पास प्रश्नगत भूमि के अतिरिक्त अन्य जमीन नहीं है। अंचलाधिकारी द्वारा सभी आवश्यक प्रकियाओं का पालन करते हुए पर्चा निर्गत किया गया है, जो विधि के अनुकूल है। आवेदक क्षेत्र के बड़े जमीन्दार है और उनके द्वारा आवेदन में वर्णित आधार सत्य नहीं है। अतः विपक्षी निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय। अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तीनों पर्चाधारियों (विपक्षी) का पर्चावाली जमीन पर मकानमय सहन नहीं है। बल्कि पर्चाधारी का निवास अन्य जमीन	

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

खेसरा संख्या-1236 में है। इस कम में प्रश्नगत जमीन एवं पर्चाधारी के मकानमय सहन का फोटोग्राफ भी संलग्न है, जिसमें फोटोग्राफ संख्या–6 एवं 7 में पर्चाधारी के घर को दिखाया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा वासगीत पर्चा को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि गृह स्थल की भूमि का पर्चा नहीं दिया जाना चाहिए था, जो दिया गया है। पर्चावाली जमीन पर भूस्वामी का चारदिवारी है, जिसके अन्दर मकान बना हुआ है। पर्चावाली जमीन पर पर्चाधारी का कब्जा नहीं रहा है। पर्चाधारी का घर अन्य जमीन पर है, जो बिहार सरकार की है। अंत में अनुमंडल पदाधिकारी ने वासगीत पर्चा को रद्द करने की अनुशंसा की है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 09.01.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन उनके पक्ष में है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि पर्चाधारियों को पर्चावाली जमीन पर दखल–कब्जा कभी नहीं रहा। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वे एक प्रश्रय प्राप्त रैयत है एवं विवादित जमीन पर उनका दखल–कब्जा है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि स्थलीय जाँच में पर्चाधारी का दखल–कब्जा वास्तविक जमीन पर नहीं पाया गया। अंचलाधिकारी के द्वारा भी निर्गत पर्चा रद्द करने का स्पष्ट अनुशंसा की गयी है। इस आलोक में अंचलाधिकारी, अमौर द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–64/1992–93 में पारित आदेश न्याय संगत नहीं पाते हुए रद्द किया जाता है। तद्नुसार आवेदक के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ